न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर

अपील संख्याः– जीसीएमएस नम्बर 2024/501

1. जैतूनी बेवा मम्मन, जाति मेव, निवासी जोडिया, सब तहसील टपूकड़ा, जिला अलवर।
2. साहून पुत्र मम्मन, जाति मेव, निवासी जोडिया, सब तहसील टपूकड़ा, जिला अलवर।
3. फकरू पुत्र मम्मन, जाति मेव, निवासी जोडिया, सब तहसील टपूकड़ा, जिला अलवर।
4. सहिद पुत्र मम्मन, जाति मेव, निवासी जोडिया, सब तहसील टपूकड़ा, जिला अलवर।
5. रस्सी पुत्र मम्मन, जाति मेव, निवासी जोडिया, सब तहसील टपूकड़ा, जिला अलवर।
6. भुज्जी पुत्र मम्मन, जाति मेव, निवासी जोडिया, सब तहसील टपूकड़ा, जिला अलवर।
7. मुकिन पुत्र मम्मन, जाति मेव, निवासी जोडिया, सब तहसील टपूकड़ा, जिला अलवर।
8. मोहम्मदी पुत्री मम्मन, जाति मेव, निवासी जोडिया, सब तहसील टपूकड़ा, जिला अलवर।
9. असमीना पुत्री मम्मन, जाति मेव, निवासी जोडिया, सब तहसील टपूकड़ा, जिला अलवर।
10. सरूनी पुत्री मम्मन, जाति मेव, निवासी जोडिया, सब तहसील टपूकड़ा, जिला अलवर।
11. सकुन पुत्री मम्मन, जाति मेव, निवासी जोडिया, सब तहसील टपूकड़ा, जिला अलवर।
12. नुरनीसा बेवा श्योदान, जाति मेव, निवासी जोडिया, सब तहसील टपूकड़ा जिला अलवर।
13. कासम पुत्र श्योदान, जाति मेव, निवासी जोडिया, सब तहसील टपूकड़ा, जिला अलवर।
14. फब्दी पुत्र श्योदान, जाति मेव, निवासी जोडिया, सब तहसील टपूकड़ा, जिला अलवर।
15. मिस्सन पुत्री श्योदान, जाति मेव, निवासी जोडिया, सब तहसील टपूकड़ा, जिला अलवर।
16. अरफीना पुत्र श्योदान, जाति मेव, निवासी जोडिया, सब तहसील टपूकड़ा जिला अलवर।
17. गब्दू पुत्र मौजू, जाति मेव, निवासी जोडिया, सब तहसील टपूकड़ा, जिला अलवर।
18. सम्मन पुत्र मौजू, जाति मेव, निवासी जोडिया, सब तहसील टपूकड़ा, जिला अलवर।

––अपीलान्ट्स

बनाम

1. परमेश्वरी देवी पत्नि धर्मपाल उर्फ धर्मचन्द पुत्र श्योनाथ, जाति स्वामी, निवासी ग्राम झिवाणा, तहसील तिजारा, जिला अलवर।
2. सुनीता पुत्री धर्मपाल उर्फ धर्मचन्द पुत्र श्योनाथ पत्नि रामस्वरूप जाति स्वामी, निवासी ग्राम पेजुका भालोजी, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।
3. मंगल पुत्र धर्मपाल उर्फ धर्मचन्द पुत्र श्योनाथ, जाति स्वामी, निवासी ग्राम झिवाणा, तहसील तिजारा जिला अलवर।
4. बल्ले पुत्री धर्मपाल उर्फ धर्मचन्द पुत्र श्योनाथ, पत्नि राजकुमार, जाति स्वामी, निवासी ग्राम झिवाणा, तहसील तिजारा जिला अलवर।
5. गोगा पुत्री धर्मपाल उर्फ धर्मचन्द पुत्र श्योनाथ, जाति स्वामी निवासी ग्राम झिवाणा, तहसील तिजारा जिला अलवर।
6. उर्मिला पुत्री धर्मपाल उर्फ धर्मचन्द पुत्र श्योनाथ, जाति स्वामी निवासी ग्राम झिवाणा, तहसील तिजारा जिला अलवर।
7. सरोज पुत्री धर्मपाल उर्फ धर्मचन्द पुत्र श्योनाथ, पत्नि हरीराम, जाति स्वामी, निवासी नेहचाना मार्ग के पास, दुर्गा कॉलानी बावल, जिला रेवाडी, हरियाणा।
8. रीना पुत्री धर्मपाल उर्फ धर्मचन्द पुत्र श्योनाथ, पत्नि जगदीश प्रसाद, जाति स्वामी निवासी वार्ड नम्बर 5, महावा, जिला सीकर, राजस्थान।
9. राजबाला पुत्री शान्ति पत्नि विश्म्बर, निवासी कोटपूतली, जिला जयपुर।
10. उत्तम पुत्री शान्ति पत्नि विश्म्बर, जाति स्वामी, निवासी डूँगरवास, तहसील व जिला रेवाडी।

––असल रेस्पोडेन्ट्स

11. दौलतराम पुत्र मामला, जाति स्वामी, निवासी ग्राम ईसरोदा, तहसील तिजारा, जिला अलवर।

––तरतीबी रेस्पोडेन्ट

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध न्यायालय नायब तहसीलदार (भू अभिलेख) टपूकडा, तहसील तिजारा, जिला अलवर निर्णय दिनांक 10.01.2020 जिसके द्वारा इन्तकाल संख्या 550 गलत तरीके से खिलाफ मनशाये कानून रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 11 के नाम 1/3–1/3 हिस्सा दर्ज करने के आदेश दिये गये।

उपस्थित :–

1. श्री विजय सिंह राठौड़, अधिवक्ता अपीलान्ट्स।
2. श्री श्याम बाबू पारीक, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 9 उपस्थित।
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 10 व 11 अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक–31.01.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय नायब तहसीलदार (भू अभिलेख) टपूकडा, तहसील तिजारा, जिला अलवर के निर्णय दिनांक 10.01.2020 के खिलाफ प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. व प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 25.01.2021 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि धर्मपाल ने नायब तहसीलदार (भू अभिलेख) टपूकडा, तहसील तिजारा, जिला अलवर द्वारा इंतकाल संख्या 550 स्वीकृत दिनांक 20.10.1987 वाके ग्राम झिवाणा, सब तहसील टपूकडा, तहसील तिजारा, जिला अलवर से व्यथित होकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय, अलवर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय, अलवर ने निर्णय दिनांक 18.09.1999 द्वारा धर्मपाल की अपील स्वीकार कर इन्तकाल संख्या 550 वाके ग्राम झिवाणा, सब तहसील टपूकडा, तहसील तिजारा निरस्त कर ग्राम पंचायत झिवाणा को पत्रावली इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की गई कि प्रकरण में नये सिरे से वारिसान की जॉच कर एक माह में निस्तारण करने के आदेश पारित करें। अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय, अलवर के निर्णय दिनांक 18.09.1999 से व्यथित होकर दौलतराम ने अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर के यहॉ अपील की गई। न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर ने निर्णय दिनांक 21.02.2011 द्वारा अपील स्वीकार की जाकर अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय, अलवर के निर्णय दिनांक 06.10.2000 निरस्त किया गया। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर के निर्णय दिनांक 21.02.2011 से व्यथित होकर परमेश्वरी देवी बेवा धर्मपाल ने राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के यहॉ अपील की गई। राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने निर्णय दिनांक 22.10.2019 द्वारा निगरानी स्वीकार कर अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.02.2011 निरस्त किया जाकर अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय, अलवर का निर्णय दिनांक 18.09.1999 बहाल रखे जाने के आदेश पारित किये गये।

   नायब तहसीलदार (भू अभिलेख) टपूकडा, तहसील तिजारा, जिला अलवर ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.01.2020 में अंकित किया है कि प्रकरण में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय दिनांक 22.10.2019 व अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय, अलवर के निर्णय दिनांक 18.09.1999 के अनुसार प्रकरण ग्राम पंचायत झिवाणा को रिमाण्ड किया गया था। ग्राम पंचायत झिवाणा द्वारा अपने पत्र दिनांक 20.12.2019 के द्वारा प्रकरण में जॉच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी ग्राम पंचायत के ग्राम झिवाणा के नामान्तकरण संख्या 550 में दर्ज वारिसानों की बजाय परमेश्वरी पत्नि व सुनीता, बाला, उर्मिला, सरोज, रीना, प्रेमलता पुत्रीयान व मंगल पुत्र धर्मपाल 1/3 हिस्सा, उत्तम पुत्र व राजबाला पुत्री शान्ति पुत्री मामला 1/3 हिस्सा का इन्द्राज दौलतराम पुत्र मामला के दर्ज करने के आदेश पारित किये गये। जिसकी पालना में नामान्तकरण स्वीकृत किया गया।
3. नायब तहसीलदार (भू अभिलेख) टपूकडा, तहसील तिजारा, जिला अलवर के उक्त निर्णय दिनांक 10.01.2020 से व्यथित होकर अपीलान्ट जैतूनी बेवा मम्मन वगै0 द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश नायब तहसीलदार (भू अभिलेख) टपूकडा, तहसील तिजारा, जिला अलवर का निर्णय दिनांक 10.01.2020 निरस्त करने व ग्राम पंचायत झिवाणा का निर्णय दिनांक 20.10.1987 बाबत् इन्तकाल संख्या 550 बदस्तूर बहाल रखे जाने की प्रार्थना की गयी है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि तहत न्यायालय ने निर्णय दिनांक 10.01.2020 अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर पारित किया है। नायब तहसीलदार, टपूकडा को इन्तकाल संख्या 550 के सम्बन्ध में निर्णय पारित करने का कोई अधिकार नहीं था। क्योंकि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 22.10.2019 के द्वारा न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर द्वितीय, अलवर के निर्णय दिनांक 18.9.1999 को यथावत रखते हुए निगरानी स्वीकार की थी। निर्णय दिनांक 18.09.1999 के अनुसार इन्तकाल संख्या 550 दिनांक 20.10.1987 को निरस्त करते हुए ग्राम पंचायत झिवाणा को यह निर्देशित किया गया कि मामला के वारिसान की विस्तृत जांच करते हुए निर्णय पारित करें। जिसकी पालना में ग्राम पंचायत झिवाणा द्वारा मामला के वारिसान की विस्तृत जांच किये बिना ही निर्णय पारित कर दिया था। नामान्तकरण विवादित होने के कारण नायब तहसीलदार, टपूकडा को निर्णय पारित करने का कोई हक व अधिकार नहीं था। नायब तहसीलदार, टपूकडा द्वारा दिनांक 10.01.2020 को जो निर्णय पारित किया गया है। उसमें भी इस तथ्य को बखूबी स्वीकार किया गया है कि प्रकरण ग्राम पंचायत झिवाणा को रिमाण्ड किया गया था। जिसके सम्बन्ध में बगैर किसी जांच के दिनांक 10.01.2020 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 11 के नाम आदेश पारित कर दिया। जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 10 किसी भी दस्तावेजात से अपने आप को मामला के वारिस साबित नहीं कर पाये है। इसके बावजूद भी तहत् न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है।

इन्तकाल संख्या 550 दिनांक 20.10.1987 दौलतराम पुत्र मामला रेस्पोडेन्ट संख्या 11 के नाम दर्ज व तस्दीक होने के पश्चात् विवादित आराजी खसरा नं0 901 रकबा 10 बीघा 12 बिस्वा बारानी सोयम के 13/106 हिस्सा 39,000/— रूपये में जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 19.06.1991 को विक्रय कर दी गई थी। उसके पश्चात् बयनामें के आधार पर इन्तकाल संख्या 776 दर्ज व तस्दीक हो गया था। राजस्व रिकार्ड में हम अपीलान्टान का नाम बतौर खातेदार काश्तकार के आज तक चला आ रहा है। जिसकी जानकारी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 10 व धर्मचन्द को पूर्ण रूप से थी। लेकिन बदयान्तीपूर्वक हम अपीलान्टान को इन्तकाल की कार्यवाही में पक्षकार नहीं बनाया गया। और केवल मात्र दौलतराम को पक्षकार बनाते हुए अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वितीय, अलवर के यहां अपील प्रस्तुत कर दी। जिसमें एकतरफा निर्णय दिनांक 18.09.1999 को अपने पक्ष में पारित करा लिया। जिसकी पालना में गलत तरीके से दिनांक 10.01.2020 को अपने पक्ष में निर्णय करा लिया। जो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 10 की बदनियति पर आधारित है। जबकि अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वितीय, अलवर ने दिनांक 18.09.1999 को प्रकरण ग्राम पंचायत झिवाणा को रिमाण्ड किया था ना कि नायब तहसीलदार टपूकडा को इससे स्पष्ट है कि तहत् न्यायालय ने मनमाने तरीके पर अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर निर्णय पारित किया है। तहत् न्यायालय में यह बखूबी साबित था कि धर्मपाल उर्फ धर्मचन्द श्योनाथ का पुत्र है। जिसके सम्बन्ध में ग्राम पंचायत ततारपुर में मामला के वारिसान की पूर्ण जांच करते हुए दिनांक 24.02.2020 को निर्णय पारित किया है। जिसमें धर्मपाल उर्फ धर्मचन्द को श्योनाथ की सन्तान माना है और श्योनाथ की सन्तान होने के सम्बन्ध में जो दस्तावेज प्रस्तुत किये है। उनका विवेचन भी पूर्ण रूप से किया है। इसके बावजूद भी नायब तहसीलदार टपूकडा ने अपने क्षेत्र से बाहर जाकर निर्णय पारित किया है। यहां तक कि अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वितीय, अलवर के निर्णय दिनांक 18.09.1999 व माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के निर्णय दिनांक 22.10.2019 की सरासर अवहेलना की है। इसलिए भी तहत् न्यायालय का निर्णय दिनांक 10.01.2020 निरस्त किये जाने योग्य है। ग्राम पंचायत के पंचों की बैठक की कार्यवाही में प्रस्ताव संख्या 7 में भी इन्तकाल संख्या 550 व इन्तकाल संख्या 180 के सम्बन्ध में मामला की विरासत की जांच की गयी। जिसमें भी मामला को एक मात्र पुत्र दौलतराम होना माना गया तथा धर्मपाल को दाखाबाई के साथ आना बताया गया है। इसके बावजूद भी तहत् न्यायालय ने इन समस्त तथ्यों को नजरअन्दाज करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

धर्मचन्द पुत्र श्योनाथ ने एक बयनामा दिनांक 01.12.1987 जो तस्दीक दिनांक 12.01.1988 को अपनी आराजी इन्द्रसिंह, धूलीचन्द, रामावतार, अभय सिंह पुत्रान लक्ष्मण सिंह आदि को बेचान की है। जिससे स्पष्ट था कि धर्मचन्द, श्योनाथ का पुत्र है ना कि मामला का लेकिन तहत् न्यायालय ने कोई ध्यान नहीं दिया और निर्णय पारित करने में अहम् कानूनी गलती की है। इन्तकाल संख्या 2091 दिनांक 14.12.56 श्योनाथ की विरासत का धर्मचन्द के नाम दर्ज व तस्दीक किया गया है। इस इन्तकाल से भी यह पूर्णतया प्रमाणित था कि धर्मचन्द श्योनाथ का पुत्र है। इसके बावजूद भी तहत् न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। हम अपीलान्टान द्वारा विवादित आराजी को दौलतराम पुत्र मामला से जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 20.06.91 को खरीद की गई। जिसका इन्तकाल भी हम अपीलान्टान के नाम दर्ज व तस्दीक किया गया है। जिसके आधार पर राजस्व रिकार्ड में हम अपीलान्टान का नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है। जिस बयनामें को आज तक किसी सक्षम न्यायालय में चैलेन्ज नहीं किया गया है। इससे भी स्पष्ट है कि धर्मचन्द श्योनाथ का पुत्र था और मामला का पुत्र बनकर गलत तरीक से आराजी मुतनाजा को हडप करना चाहता है। जो उसकी बदनियति पर आधारित है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 10 के पति व पिता ग्राम खेडी तहसील व जिला मेहन्द्रगढ़ हरियाणा के रहने वाले है। क्योंकि श्योनाथ की आराजी का इन्तकाल 2091 धर्मचन्द के नाम स्वीकार हुआ और धर्मचन्द के द्वारा आराजी का बेचान भी धर्मचन्द ने जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दुलीचन्द वगैरा को किया। जिसका इन्तकाल संख्या 3193 दिनांक 14.01.89 को ग्राम पंचायत खेडी द्वारा दर्ज व मंजूर किया गया। तहत् न्यायालय ने हम अपीलान्टान व रेस्पोडेन्ट संख्या 11 के नाम कोई नोटिस वगैरा भी जारी नही किए और ना ही साक्ष्य व सुनवाई का अवसर दिया। केवल मात्र रेस्पोडेन्ट के कहने से मनमाने तरीके पर निर्णय पारित किया है।

तहत् न्यायालय द्वारा हम अपीलान्टान को किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है और ना ही किसी प्रकार का साक्ष्य व सुनवाई का अवसर दिया गया और ना ही कब्जे की जांच की गई। अपीलान्टान को पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 10.01.2021 को बताया गया कि हम अपीलान्ट्स का इन्तकाल निरस्त किया जाकर रेस्पाडेन्टान के नाम दर्ज व तस्दीक करने का आदेश दिया गया है। जिस पर हम अपीलान्टान ने तहत् न्यायालय में नकल का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जो नकल दिनांक 13 जनवरी, 2021 को प्राप्त हुई। जिस पर वकील साहिबान से सलाह मशवरा किया गया। जिन्होनें अपील प्रस्तुत करने की सलाह दी। इसलिए यह अपील जानकारी के दिन से अन्दर मियाद प्रस्तुत है। फिर भी दफा 5 कानून मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से अपील के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रकरण के तथ्यों एवं गुणावगुण को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कन्डोन किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार (भू अभिलेख) टपूकडा, तहसील तिजारा, जिला अलवर के निर्णय दिनांक 10.01.2020 में बिना सुनवायी व सबूत का अवसर दिये बिना व उनको पक्षकार बनाये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील प्रस्तुत किये जाने की इजाजत प्रदान की जावे। अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमाई जाकर आलौच्य निर्णय न्यायालय नायब तहसीलदार (भू अभिलेख) टपूकडा, तहसील तिजारा, जिला अलवर का निर्णय दिनांक 10.01.2020 निरस्त फरमाया जावे एवं ग्राम पंचायत झिवाणा का निर्णय दिनांक 20.10.1987 बाबत् इन्तकाल संख्या 550 बदस्तूर बहाल रखा जावे।

6. रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 लगायत 9 की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विवादग्रस्त भूमि के खातेदार मामला के दो पुत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 10 के पूर्वज धर्मपाल एवं दौलतराम थे। जब मामला की सन् 1985 में मृत्यु हुई तो उसकी विरासत का नामान्तरकरण बदनियतिपूर्वक खातेदार के एक पुत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 11 दौलतराम के नाम तस्दीक किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 10 के पूर्वज धर्मपाल नौकरी के सिलसिले में बाहर रहता था। जब उनके पिता मामला की मृत्यु हुई तो वह गांव आया और अपने पिता के सारे क्रियाकर्म कर वापस नौकरी की पर चला गया। धर्मपाल के वापस नौकरी पर जाने के पश्चात् उसका छोटे भाई ही धर्मपाल के हिस्से की जमीन को काश्त करता था तथा हिस्से अनुसार फसल दे दिया करता था। धर्मपाल पुनः जब गांव आया और अपने भाई दौलतराम को

अतिरिक्त ... आयुक्त
जयपुर

जमीन के बंटवारें के लिये बोला तो उसने जमीन स्वयं के नाम होना अवगत कराते हुए साफ इन्कार कर दिया। तत्पश्चात् जानकारी की दिनांक से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 10 के पूर्वज धर्मपाल द्वारा नामान्तरकरण संख्या 550 के विरूद्ध एक अपील अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय अलवर के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। जिसे न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय अलवर द्वारा वारिसान की जॉच कर नामान्तरकरण की कार्यवाही हेतु रिमाण्ड किया गया। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने यह भी कथन किया है कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135(2) के तहत नामान्तरकरण की कार्यवाही के अधिकार ग्राम पंचायत को प्रदत्त नहीं होने से नायब तहसीलदार टपूकडा द्वारा मृतक मामला के वारिसान की जॉच करने के पश्चात् ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.01.2020 पारित किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नहीं होने से अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।

7. हमने प्रकरण के अभिलेखों को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 10.01.2021 को होते ही नकल हेतु आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर दिनांक 13 जनवरी, 2021 को नकल प्राप्त करना अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम तथा प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुये माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा विलम्ब के प्रकरणों में नरमी का रूख अपनाते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने बाबत पारित नजीरों के आलोक में प्रकरण में नरमी का रूख अपनाते हुये, अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय में पक्षकार नहीं बनाया है। अपीलांट अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित पक्षकार है, इसलिये अपील पेश करने का अधिकारी है। अपीलांट का प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रकरण में राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के निर्णय दिनांक 22.10.2019 के द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय, अलवर के निर्णय दिनांक 18.09.1999 को यथावत रखते हुए प्रकरण ग्राम पंचायत को रिमाण्ड किया गया था, हॉलाकि विवादित नामान्तकरण के निर्णय का क्षेत्राधिकार भू राजस्व अधिनियम की धारा 135 (2) के अनुसार तहसीलदार को प्रदत है, किन्तु अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय, अलवर के निर्णय दिनांक 18.09.1999 जिसकी पुष्टि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा की गई है, के अनुसार प्रकरण ग्राम पंचायत को रिमाण्ड किया गया है। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत को उच्चतर न्यायालयों के निर्णय की पूर्ण पालना करते हुए पक्षकारान को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर देने के उपरान्त मामला के विधिक वारिसान की जॉच के साथ–साथ धर्मपाल तथा धर्मचन्द दो अलग–अलग व्यक्ति है अथवा एक ही व्यक्ति है, इत्यादि की बिना जॉच किये ही सरसरी तौर पर आदेश दिनांक 20.12.2019 पारित किया गया है जो विधि सम्मत प्रतीत नहीं होता है। जहॉ तक नायब तहसीलदार टपूकडा की अधिकारिता का प्रश्न है। भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135 अनुसार नायब तहसीलदार को धारा 135(1) के तहत ही अपने क्षेत्राधिकार में शक्तियॉ प्रदत्त है। नायब तहसीलदार को धारा 135(2) के तहत विवादित प्रकरण निर्णित करने की अधिकारिता प्रदत्त नहीं होने के कारण नायब तहसीलदार द्वारा किया गया निर्णय 10.01.2020 एवं ग्राम पंचायत झिवाणा द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.12.2019 निरस्त कर प्रकरण अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय, अलवर के निर्णय दिनांक 18.09.1999 जिसकी पुष्टि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा की गई है, की पालना में ग्राम पंचायत को रिमाण्ड किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार टपूकडा द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.01.2020 एवं ग्राम पंचायत झिवाणा द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.12.2019 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उच्चतर न्यायालयों द्वारा पारित पूर्व निर्णयों की पालना में ग्राम पंचायत झिवाणा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं समुचित सुनवाई का

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

अवसर देने के उपरान्त मामला के विधिक वारिसान की जॉच के साथ–साथ धर्मपाल तथा धर्मचन्द दो अलग–अलग व्यक्ति है अथवा एक ही व्यक्ति है की जांच धर्मपाल तथा धर्मचन्द के विधिक वारिसान की पड़ताल कर की जावें। यदि दोनों के विधिक वारिसान समान है तो यह स्पष्ट हो पायेगा कि दोनों एक ही व्यक्ति हैं तथा यदि दोनों के विधिक वारिसान पृथक–पृथक है तो यह स्पष्ट हो पायेगा की दोनों पृथक–पृथक व्यक्ति है। उक्त से यह स्पष्ट हो जायेगा कि धर्मपाल या धर्मचन्द मामला का पुत्र है अथवा श्योनाथ का पुत्र है। अतः उक्तानुसार विस्तृत जांच पश्चात् प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

(डा. प्रवीण कुमार)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय दिनांक 31.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर